



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2016/अग्रहायण 15, 1938

No. 444]

NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 6, 2016/AGRAHAYANA 15, 1938

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

फा.सं. पी/15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और 21 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा प्राधिकरण के ईमेल पते [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर भेजे जा सकेंगे ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर उक्त अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा;

### प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट)..... (संशोधन) विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, विनियम 2.2 में, 2.2.1 उपनियम में “फसलों का संदूषण और प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थों” से संबन्धित, प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थ से संबन्धित खंड 2 में, उक्त स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में, हाइड्रोसाइनिक अम्ल से संबन्धित क्रम संख्या 2 की सारणी में, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

खाद्य वस्तु	अधिकतम सीमा
(3)	(4)
“साबुदाना, कसावा आटा, टेपिओका आटा, मनीहॉट आटा और उनके उत्पाद	10”.

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./334(187ओ)]

**टिप्पण:** मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- (i) फा. सं. 1-12/एससीआई. पैनल/(अधिसूचना)/एफ.एस.एस.ए.आई./2012, तारीख 3 दिसम्बर, 2014;
- (ii) फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (iii) फा. सं. 1-99/1/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2009, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (iv) फा. सं. 1-99/4/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2014, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (v) फा. सं. 1-10(6)/मानक/एस.पी.(मछली और मत्स्य उत्पाद)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2013, तारीख 4 जनवरी, 2016;
- (vi) फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 5 जनवरी, 2016;
- (vii) फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई./, तारीख 3 मई, 2016 और
- (viii) फा. सं. 1-99/एसपी(कन्टैनेन्ट्स)/आरईजी/एफ.एस.एस.ए.आई./2015, तारीख 10 अक्टूबर, 2016।

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### (Food Safety and Standards Authority of India)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2016

**F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI.**—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make in

exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with sections 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or may be sent at [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in);

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations, before the expiry of the aforesaid period, shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

### Draft Regulations

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) ....Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

**2.** In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2, relating to “Crop contaminants and naturally occurring toxic substances”, in sub-regulation 2.2.1, in clause 2, relating to “Naturally occurring toxic substances”, in the Table against serial number 2 relating to Hydrocyanic acid, in columns (3) and (4) thereof, after existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely:-

Article of food	Maximum limits (ppm)
(3)	(4)
“Sago, Cassava flour, Tapioca flour, Manihot flour and their products	10”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./334(187O)]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated 3<sup>rd</sup> December, 2014;
- (ii) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4<sup>th</sup> November, 2015;
- (iii) F. No. 1-99/1/SP(Contaminants)/FSSAI/2009, dated 4<sup>th</sup> November, 2015;
- (iv) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated 4<sup>th</sup> November, 2015;
- (v) F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 4<sup>th</sup> January, 2016;
- (vi) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 5<sup>th</sup> January, 2016,
- (vii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 3<sup>rd</sup> May, 2016 and
- (viii) F. No. 1-99/SP (Contaminants)/REG/FSSAI/2015 dated 10<sup>th</sup> October, 2016.